

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 77 / 2021

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
गुलाबसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपुत, निवासी फतेहसिंह नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. रूपसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपुत, निवासी फतेहसिंह नगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपरिथत :- अधिवक्ता वादी - श्री बृजमोहन कुमावत।

--:: निर्णय ::--

दिनांक : 02.04.2026

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल राजबेरा के ग्राम फतेहसिंह नगर के खेत खसरा नम्बर 934/733 रकबा 8.7412 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	वरंग
1	गुलाबसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा उण्डू	फतेहसिंह नगर	934/733	2.2539	बा.अ.	0.29	नारंगी
			934/733	1.9710	बा.अ.	0.23	
			2	4.2249			
2	रूपसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार	फतेहसिंह नगर	934/733	2.2539	बा.अ.	0.29	हरा
			934/733	1.9711	बा.अ.	0.24	
			2	4.2250			
3	गुलाबसिंह 1/2, रूपसिंह 1/2 पि. माधोसिंह जाति राजपुत सा. देह खातेदार रहन गुलाबसिंह का हिस्सा पीएनबी शाखा उण्डू	फतेहसिंह नगर	934/733	0.2913	गै.मु. रास्ता	-	नीला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।



सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SBO) शिव
(बाड़मेर)